

राधामोहन खन्नाम गिरजि चवैरा

दावा  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए


1-6-2016 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
में कैम्प दिगोत्या पर पेश हुई। वादी राधामोहन  
उपस्थित है। वादी ने राजीनामा इस आशय  
का पेश किया है कि खण्ड नं० 81 खक्या 11 स्थर  
ग्राम भदानन्दपुर की जमीन नगरपालिका के  
नाम दर्ज हो चुकी है अतः मैं अपना दावा  
वापिस लेता हूँ, दावा वापिस लेने की अनुमति  
दी जावे।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी  
को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।  
पत्रावली में चर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली  
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो खं  
आद तकमील दाखिल दफतर हो।

राधामोहन  
वादी लाल  
नि० गिरजि  
नि० गोविन्द

  
(सतीश कुमार शर्मा)  
रडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(रवि कुमार शर्मा)  
रडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

  
(मुनिश शर्मा)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
खं  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

### मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) हिगोटिया  
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान  
राधामोहन पुत्र कल्लू, खाती निवासी गंगापुर सिटी  
बनाम  
---वादी

1. गिराज पुत्र झबलू, माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
  2. गोविन्द पुत्र झबलू, माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
  3. बल्लीलाल पुत्र झबलू, माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
- प्रतिवादीगण  
दावा स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नं. - 95/2013

वादी की ओर से वादी राधामोहन की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी गिराज झबलू की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 01.06.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी ने वाद वापिस लेने का निवेदन किया है। अतः वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 1.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

#### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	